न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास राजेश कुमार मीणा, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 13 / 2020 / अपील

1. माली देवी उर्फ मोहनी देवी पुत्री सुरजाराम जाति बलाई निवासी अलोदा थाना खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।

— अपीलान्ट्स

बनाम

1. ग्राम पंचायत अलोदा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज.)।
2. प्रेमाराम पुत्र मंगलाराम
3. सरस्वती पत्नि मिठू
4. गीता पुत्री मिठू
5. मुली पुत्री मिठू
6. कमला पुत्री मिठू
7. भागोती पुत्री मिठू

जाति बलाई निवासी अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

— रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरण संख्या 683 दिनांकित 10.01.1984 बतस्दीक सरपंच ग्राम पंचायत अलोदा अन्तर्गत धारा 75 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति–

1. **श्री हरदेवाराम सुण्डा वकील अपीलान्ट्स की ओर से।**
2. **रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 7 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी।**

निर्णय **दिनांक — 19.04.2022**

1 अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि विवादित कृषि भूमि पुराना ख.नं. 32 बीघा 16 बिस्वा नया ख.नं. 1265, 1265/1890, 1266 ता 1268, 1273/1881, 1274 कुल किता 7 कुल रकबा 8.30.0 हैक्टर वाकै ग्राम अलोदा पटवार हल्का अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर में अवस्थित है। अपीलान्टस का सजरा खानदान निम्न प्रकार है।

सुरजाराम (फोत)

बिन्जा देवी (फोत) (पत्नि) — माली देवी उर्फ मोहनी देवी (पुत्री) — मिठू (फोत) (पुत्र)

गीता (पुत्री) मुली (पुत्री) कमला (पुत्री) भागोती (पुत्री) सरस्वती देवी (पत्नि)

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ

अपीलांट के पिता सुरजाराम की मृत्यु दिनांक 15.09.1982 को हो चुकी है व इसकी मृत्यु के पश्चात अपीलांट स्वयं व अपीलांट के भाई की पत्नि व उसकी पुत्रिया उसकी कानूनी वैध वारिस है। अपील मे वर्णित कृषि भूमियां अपीलान्टस के पिता स्व. सुरजाराम के कब्जे काश्त व खातेदारी शुदा की रही है, तथा स्व. सुरजाराम के अपीलान्टस भाली देवी उर्फ मोहनी देवी (पुत्री) व अपीलांट के भाई की संतान व भाई की पत्नि कानूनी व वैध वारिसान है, (रेस्पोडेन्टस संख्या 3 लगायत 7) लेकिन रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने अपीलान्ट के पिता स्व. सुरजाराम का स्वर्गवास होने पर पटवारी हल्का अलोदा व ग्राम पंचायत अलोदा से मिलकर अपील में वर्णित कृषि भूमि का नामान्तरण स्वयं के नाम से गलत रूप से अंकन करवाकर तस्दीक करवा लिया जिसका रेस्पोडेन्टस संख्या 2 को कोई कानूनी अधिकार नहीं है, अपीलांट के भाई मिठू कि मृत्यु हो चुकी है, व उसके वारिसान रेस्पोडेन्टस 3 लगायत 7 है। अपीलान्ट के पिता स्व. सुरजाराम के अपीलान्टस स्वयं व अपीलांट के भाई की पत्नि व उसकी पुत्रियां रेस्पोडेन्टस संख्या 3 लगायत 7 उसकी कानूनी वैध वारिस है, हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत अपीलान्टस स्व. सुरजाराम के प्रथम श्रेणी के वारिस है, लेकिन रेस्पोडेन्टस संख्या 2 ने अपीलगस्त नामान्तरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से मिलकर तस्दीक करवाया है, जो प्रारम्भ से ही अवैध व प्रभाव शून्य है, तथा निम्न आधारों पर निरस्त होने योग्य है।

(क) यह कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने उक्त नामान्तरण विधि विरूद्व जाकर प्राकृतिक न्याय सिद्वांतो के विपरीत खोला है, जो प्रथम दृष्टया निरस्त होने योग्य है।

(ख) यह कि ग्राम पंचायत अलोदा ने अपीलांट को उक्त नामान्तरण भरने बावत कोई सुचना नहीं दी, तथा गलत रूप से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 का नाम अंकन किया है, जो विधि विरूद्व होने से खारिज होने योग्य है।

(ग) यह कि ग्राम पंचायत अलोदा ने सम्पूर्ण कार्यवाही प्राकृतिक न्याय सिद्वान्तों के विरूद्व की है, जिसमे न तो कब्जे काश्त की जांच की गयी और न ही वैधानिक वारिसानो की कोई सुनवाई की है, जबकि मृतक के वैध वारिसान अपीलांट व रेस्पोडेन्टस संख्या 3 लगायत 7 मौजूद है, इसके बावजूद रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो निरस्त होने योग्य है।

(घ) यह कि अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस संख्या 3 लगायत 7 स्व. सुरजाराम के वारिसान है इसके बावजूद ग्राम पंचायत अलोदा ने बिना जांच किये रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के नाम नामान्तरण भरकर गलत रूप से तस्दीक किया है, जबकि रेस्पोडेन्टस संख्या 2 मंगलाराम का पुत्र है, इसके बावजूद ग्राम

उपखण्ड अधिकारी बालोतरा

पंचायत अलोदा ने गलत रूप से नामान्तरण तस्दीक किया है जो निरस्त होने योग्य है।

अपीलाटस अपनी भूमियों की जमाबंदी की नकल लेने हेतु तहसील कार्यालय में गयी जहां नकल प्राप्त होने पर उक्त गलत अंकन बाबत जानकारी हुई है, तब उक्त विवादित नामान्तरण का नकल का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 14.09.2020 को प्राप्त हुई, इसलिए जानकारी से उक्त अपील अन्दर मियाद प्रस्तुत है वैसे भी अवैध व प्रभाव शून्य दस्तावेजाजे को कभी भी न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, जिसके लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, फिर भी परिसीमा अधिनियम की धारा 5 का आवेदन व शपथ पत्र प्रथक से प्रस्तुत किया जा रहा है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अपील अपीलांट पर बहस एकपक्षीय सुनी गई।

3. अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत रलावता द्वारा तस्दीक किया गया अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिक वारिशान, कब्जे आदि की जांच किये तस्दीक किया गया है जो निरस्तनीय है।

अपीलांट की ओर से दफा 5 मियाद परिसीमा अधिनियम का आवेदन पेश किया है तथा अपीलांट स्व0 सुरजाराम (फोत) की पुत्री वैध वारिस है। अतः अपीलांट को मियाद के बिन्दू पर न्याय से वंचित किया जाना उचित नहीं है तथा ग्राम पंचायत अलोदा द्वारा तस्दीक अपीलाधीन नामांतकरण बिना विधिवत वारिशान की जांच किये ही तस्दीक किया गया है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है, अपीलाधीन नामांतरण संख्या 683 दिनांक 10.01.1984 द्वारा ग्राम पंचायत अलोदा तहसील दांतारामगढ जिला सीकर खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार दांतारामगढ को आदेशित किया जाता है कि पुनः विधिवत वारिशान की जांच करते हुए नामान्तरण दर्ज कर तस्दीक करने की कार्यवाही कर न्यायालय को पालना से अवगत करावे।

पत्रावली बाद तकमील कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह निर्णय आज दिनांक 19.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19/4/22

(राजेश कुमार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ